

2026:AHC-LKO:12587-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं.- 221/2006

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव लोक निर्माण विभाग के माध्यम से

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

सत्य नारायण

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	यू. गुप्ता

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 11041/2006)

1. यह अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब के लिए क्षमादान हेतु एक आवेदन है।
2. सुन लिया गया।
3. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत रिट याचिका सं. 4108 (एस/एस)/ 2002 [सत्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में दिनांक 20.12.2004 को पारित हुए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दाखिल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गई एक अपील है। यह विशेष अपील दिनांक 28.04.2006 को दाखिल की गई थी। जैसा कि बताया गया है, इस अपील को दाखिल करने में एक वर्ष, दो माह और छह दिन का विलंब हुआ है। हमने विलंब क्षमादान के लिए आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथपत्र को देखा है और और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य' 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969 में प्रकाशित हाल ही के निर्णय के संदर्भ में दिए गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया है। फ़ाइल का कार्यालय के एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर ले जाना इतने अधिक विलंब के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, और निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है।

4. तदनुसार, हम विलंब क्षमादान के लिए आवेदन को अस्वीकार करते हैं। परिणामस्वरूप, अपील भी **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

17 फरवरी 2026

शान्/-